न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 23/2023 ई.रे. दिनांक 29.09.2025

1– गंगाबाई पुत्री स्व. बाबरू गायरी पत्नी उंकारलाल गायरी निवासी नई आबादी महुडा तहसील बडीसादडी
2– काली पुत्री स्व. बाबरू गायरी पत्नि चुनिया उर्फ चुन्नीलाल गायरी, निवासी संग्रमपुरा अमरपुरा जागीर, तहसील कानोड जिला उदयपुर
3– कमलीबाई पुत्री स्व. बाबरू गायरी पत्नि चतरभुज गायरी निवासी शिवपूरा पीथलपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर
4– गुलाबीबाई पुत्री स्व. बाबरू गायरी भंवरलाल गायरी निवासी गायरियो का मोहल्ला रावतपुरा तहसील डूंगला

– प्रार्थीगण

बनाम

1– श्यामलाल गायरी स्व. बाबरू गायरी निवासी खोडियो का खेडा, बांसी तहसील बडीसादडी
2– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री पंजक मेहता वकील प्रार्थीगण
श्री चेतन जायसवाल वकील विपक्षी

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि

1. यह कि प्रार्थीगण की और से न्यायालय आप मे घोषणा विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक वाद पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वादपत्र के निस्तारण में समय लगने की पुर्ण सम्भावना होने से वादकालिन अस्थाई निषधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. यह कि राजस्व ग्रम खोडियो का खेडा पटवार हल्का बांसी तहसील बडीसादडी में निम्न कृषि भूमिया स्थित है।

खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
22	55	0.7600 हैक्टेयर
	57	0.0100 हैक्टेयर
	58	0.0100 हैक्टेयर
	59	0.9600 हैक्टेयर
कुल	4	1.7400 हैक्टेयर

उक्त कृषि भूमियो के सम्बन्ध में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा हैं और आगे सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि कहा जा रहा हैं।

3. यह कि पक्षकारान का सजना निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

सजरे में दर्शित अनुसार मुल पुरूष काना जी के दो पुत्र हैं। जिनके दोनो पुत्रो कालिया व भोलिया का देहान्त होकर जायदाद भोलिया जी के एकमात्र पुत्र बाबरू को प्राप्त हुई है, बाबरू जी की भी मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसान प्रार्थी सं. एक लगायत चार एवं विपक्षी सं. एक हैं। इस प्रकार सम्पुर्ण वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि होकर सहदायिकी में प्राप्त जायदाद रहती हैं।

4. विपक्षी सं. एक प्रार्थीगण आपस में सगे भाई–बहिन होकर इनके पिता स्व. बाबरू जी का निधन हो चुका है। प्रार्थी सं. एक लगायात चार स्व. बाबरू जी की पुत्रीया होकर हिन्दु उत्तराधिकार विधि के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस उत्तरराधिकारी है। प्रार्थीगण सभी स्व. बाबरू जी के समय में विपक्षी सं. एक के साथ एक ही घर में निवास करती रही है और उनका जन्म भी विपक्षी सं. एक के साथ रहते हुए एक ही घर में हुआ है। वादग्रस्त जायदाद प्रार्थीगण की पुश्तैनी जायदाद होने और स्व. भोलिया जी के जमाने से चली आ रही होकर सहदायिकी सम्पत्ति होने से प्रार्थीगण का जन्म से उक्त जायदाद में हक हिस्सा निहित हो चुका है।

5. प्रार्थीगण के पिता स्व. बाबरू जी अपने जीवन काल में वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज रहे और उन्होने वादग्रस्त भूमि को विकसित करने संसाधन जोडने में भरपुर श्रम और लागत लगाई हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने विवाह के पूर्व वादग्रस्त भूमि पर अपने माता पिता के साथ कृषि कार्य किया जाता रहा है और विवाह के पश्चात भी समय समय पर अपने पिता के जीवन काल में उक्त भूमि की सार सम्भाल एवं काश्त की हैं। स्व0 बाबरू जी का प्रेम व्यावहार अपनी पांचो सन्तानों के प्रति एक समान रहा और उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि पुत्र पुत्री सभी को जायदाद मे बराबर हक हिस्सा प्राप्त हो किन्तु स्व. बाबरू जी का अचानक निर्वसियती देहान्त हो गया। बाबरू जी के देहांत उपरांत विपक्षी सं. एक ने वादग्रस्त जायदाद राजस्व अधिकारियों को मिथ्या जानकारी देकर एक मात्र वारिस बताते हुए सिर्फ अपने नाम पर दर्ज करवा दी जिसके उपरांत विपक्षी सं. एक स्वंय को एकमात्र मालिक बताकर वादग्रस्त भूमि हस्तान्तरित करना चाह रहा है, अपनी सगी बहनो के हक से इंकार कर रहा है। प्रार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में विपक्षी सं. एकसे समझाइश करने पर वह मान नही रहा है और वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. एक की अकेले की खातेदारी में दर्ज होने से अनूचित हस्तान्तरण का भय बना हुआ है, जिस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

6. चुंकि विपक्षी सं. एक अपने ही परिवार बहनो के हितो को नजरदाज कर पारिवारिक विरासत की भूमि को बरकरार रखने और वादग्रस्त भूमि के संरक्षण को इच्छुक नही हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पदा होने से उनका इस भूमि में हित एवं अधिकार विधमान हैं, जिससे विपक्षी सं. एक अकारण इंकार कर रहा है और प्रार्थीगण के हिस्से को बरकरार रखे बिना अकेले ही भूमियों को हस्तान्तरित करना चाह रहे है, एकमात्र अधिकार जताने लगे हैं। विप़क्षी सं. एक का यह रवैया परिवार के प्रति सदभावी और कल्याणकारी नही होने से एवं प्रार्थीगण के हितो की अनदेखी किये जाने से प्रार्थीगण के हक अधिकार के प्रवर्तन हेतु वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्सो की घोषणा हेतु नियमित वाद प्रस्तुत किया जा चुका हैं।

7. उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में विपक्षी सं. एक की एकमात्र खातेदारी में दर्ज हैं। जबकि प्रार्थीगण व विपक्षी सं. एक अपने हिस्से अनुसार आराजीयात पर काबिज होकर सम्मिलित रूप से उपयोग उपभोग पूर्व में करते आये हैं। मौके पर हक हिस्से को लेकर भूमि की नपति को लेकर अनावश्यक वाद विवाद उत्पन्न न हो, इस कारण वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा घोषित किये जाने के उपरांत बाई मिटस एण्ड बाउण्डस भूमि की गुणवत्ता व मून्लांकन अनुसार माफिक रिकार्ड हिस्से की नपति अनुसार बंटवाडा कर अलग–अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतू मूल वाद प्रस्तुत किया जा चुका हैं।

Signature Not Verified

8. प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात पर अपने स्व. पि[illegible] में काबिज रही हैं। विपक्षी सं. एक भाई बहन के रिश्ते को भूलाकर सम्पुर्ण भूमि अपनी [illegible] के हिस्से से इंकार करने लगा है और भूमि पर विभिन्न प्रकार के भार [illegible] करने, हस्तान्त[illegible] करने को प्रयासरत है। प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में विपक्षी सं. एक से स[illegible] रहे है। जबकि उक्त आराजीयात पुश्तैनी भूमि होने से प्रार्थीगण [illegible] अधिकार है, जितना विपक्षी सं. एक का है। विपक्षी भूमि के विशिष्ट व किमती हिस्से को हस्तान्त[illegible] करने पर अडे हुए है भू माफिया किस्म के

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

व्यक्तियों को मौके पर लाकर विकय गिरवी की चर्चा करतेहै इस कारण भूमि का अनुचित हस्तांतरण रोके जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाना आवश्यक है।

9. विपक्षी कमांक एक हो इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आपश्यक एवं न्यायसंगत हैं कि दौराने सुनवाई मूल वाद एवं वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के हिस्से अनुसार खातेदारी की घोषाणा व विधिवत विभाजन हो जाने तक उक्त आराजीयात के किसी भी हिस्से को किसी भी तरह रहन बय बक्षिश व हस्तान्तरित नही करे न करावें। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नही करे न करावे।

10. प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण उक्त भूमि में सह अंशधारी हैं एवं उनका हित विधमान हैं जो स्व. बाबरू जी की विधिक वारिसान होकर हक हिस्से अनुसार घोषणा एवं विधिवत विभाजन की अनुपस्थिती में अनुचित हस्तान्तरण रोके जाने की पात्रता रखती है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि मौके व रिकार्ड की यथास्थिती नही रखे जाने पर भूमि हस्तांतरित होकर तृतीय पक्षकार के अधिकार सृजित होकर वाद बहुलता बढेगी एवं मौके पर रोज वाद विवाद होगें। विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञाा से पाबन्द नही किये जाने पर प्रार्थीगण को अपुर्तनीय क्षति होगी क्योंकि वह सदैव के लिये भूमि में निहित अपने अंश से वंचित हो जाऐगी। अतः समग्र रूप से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

अतः उपरोक्त अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की दौराने सुनवाई मूल वाद वे वादग्रस्त भूमियों की मौके एवं अभिलेख की यथा स्थिती बनाये रखे कब्जे में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे न करावें वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बय बक्षीश विकय नही करे न करावें।

प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी नं. 1 की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. प्रार्थीगण द्वारा झुठा वादपत्र पेश किया है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के योग्य है।
2. उक्त चरण में अंकित तथ्य सत्य होने से स्वीकार है।
3. उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।
4. उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि विपक्षी नं. 1 श्यामलाल द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हक हिस्से की राशि का मुल्य करके प्रार्थीगण को राशि अदा कर दी गयी थी। तथा स्व. बाबरू जी की सेवा चाकरी व ईलाज का खर्च भी विपक्षी नं. 1 द्वारा ही किया गया था। तथा प्रार्थीगण के विवाह का सम्पुर्ण खर्चा भी विपक्षी नं. 1 श्यामलाल द्वारा ही किया गया था।
5. उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीगण कभी भी वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज नही रही। विपक्षी नं. 1 श्यामलाल द्वारा वर्षो पुर्व प्रार्थीगण का विवाह करवाकर प्रार्थीगण को उनके ससुराल भेज दिया गया था। तभी से प्रार्थीगण अपने ससुराल की जमीन पर काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा कभी भी वादग्रस्त भूमि को विकसित करने, संसाधन जोड़ने श्रम व लागत नही लगाई क्योंकि प्रार्थीगण अपने अपने विवाह से ही से अपने अपने ससुराल में निवास करती है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण द्वारा अपने अपने हक हिस्से की राशि प्राप्त कर अपनी सहमति से विपक्षी नं. 1 श्यामलाल का नाम दर्ज करवाया गया था। प्रार्थीगण द्वारा अन्य लोगों के सिखावे आकर अवैधरूप से पुनः रूपये हडपनें के लिये उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया हैं।
6. उक्त चरण अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षी नं. 1 पारिवारिक विरासत की भूमि को बराकरार और भूमि के संरक्षक का इच्छुक है तथा विपक्षी नं. 1 श्यामलाल द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हक हिस्से की राशि का मुल्य करके प्रार्थीगण को राशि अदा कर दी गया थी जिस कारण वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा नही है और प्रार्थीयागण द्वारा अपने हक हिस्से की राशि प्राप्त कर सहमति से सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात विपक्षी नं. 1 के नाम दर्ज करवायी गयी थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

7. उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होन से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है और न कोई बंटवाडा किया गया है। सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजीयात विपक्षी नं. 1 के कब्जे में ही स्थित है और सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजीयात का उपयोग उपभोग भी विपक्षी नं. 1 के द्वारा ही किया जा रहा है तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण को कोई हक हिस्सा निहित नही है और न ही वादग्रस्त आराजीयात पर उनका कब्जा है जिस कारण प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारिणी नही हैं।

8. उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है और वादग्रस्त आराजीयात का किसी प्रकार से कोई विभाजन प्रार्थीयागण व विपक्षी नं. 1 के बीच नही किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात के सम्पुर्ण हक हिस्से की आराजीयात पर अकेला विपक्षी नं. 1 ही काबिज है और विपक्षी नं. 1 अकेला ही वादग्रस्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिस कारण विपक्षी नं. 1 को वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय व स्थानांतरण करने का पुर्ण हक व अधिकार है जिससे उसे रोका नही जा सकता है।

9. उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। स्व. बाबरू जी व उनकी पत्नि की सेवा चाकरी व ईलाज का सारा खर्चा विपक्षी नं. 1 द्वारा ही किया गया है। विपक्षी नं. 1 श्यामलाल द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीयागण के हक हिस्से की राशि का मुल्य करके प्रार्थीगण को राशि अदा कर दी गया थी उसका काफी कर्जा विपक्षी न. 1 पर है। तथा विपक्षी नं. 1 स्वयं काफी बुजुर्ग होकर बिमार है तथा विपक्षी नं. 1 के उपर काफी कर्जा है जिस कारण विपक्षी नं. 1 को अपनी उक्त वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय व हस्तान्तरित करने का पुर्ण हक व अधिकार है जिससे उसे रोका नही जा सकता है।

10. उक्त चरण में अंकित तथ्य गलत होने अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने विपक्षी नं. 1 को परेशान करने और अवैधरूप से रूपयो वसुली की गरज से उक्त झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण साबित नही है तथा सुविधा का संतुलन भी विपक्षी नं. 1 के पक्ष है तथा विपक्षीयागण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो विपक्षी नं. 1 को भारी क्षति कारीत होगी जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को हर्जे खर्जे सहीत खारीज फरमाया जावे।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पूर्व में प्रार्थीगण के पिता बाबरू के नाम पर थी जिसका विरासत का नामान्तरण में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही किया गया। विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हो गई जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय बक्षीश कर हस्तान्तरीत करने पर आमादा है व प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है प्रार्थीगण ने वाद ग्रस्त पुश्तैनी आराजीयात में से [illegible] हिस्सा चाहा है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:23 IST
Reason: SelfAttested

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। मृतक [illegible] पुत्रीयां प्रार्थीगण है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत इसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। यदि विपक्षी उक्त आराजीयात को बेच देते है तो प्रार्थीगण को असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है तथा सुविधा

सहायक कलेक्टर
बदीसावडी

का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है।

—:आदेश:—

अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21.06.2023 के अनुसार विपक्षीगण मौजा खोड़ियो का खेड़ा पटवार हल्का बांसी की आराजी नं. 55, 57, 58, 59 कुल किता 4 रकबा 1.7400 हैक्ट. के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:29:23 IST
Reason: SelfAttested